न्यायालय माननीय रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर

प्र. क्र. रिविजन 2014 R. 1896/I/14

रामकिशन पिता बद्रीलाल महाजन आयु
90वर्ष निवासी नलखेड़ा [illegible]

.......अपीलान्ट आवेदक

विरुद्ध

1. [illegible] उर्फ [illegible] पिता
नंदलाल महाजन हनुमान मंडी नलखेड़ा

2. म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार नलखेड़ा
[illegible]

....................रेस्पान्डेन्ट

रिविजन धरा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता के अन्तर्गत

माननीय महोदय,

प्रकरण क्र. 29 अपील 2007/08 निर्णय दिनांक 26.02.2014 में पारित आदेश अनुविभागीय अधिकारी महोदय सुसनेर के विरुद्ध

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :--

1. यह कि कस्बा नलखेड़ा जिला आगर में एक कृषि भूमि खाता क्र. .... जिसमें भू. क्र. 263/3, 287/1 287/5, 293/2, 294, 297 298 कुल किता 7 कुल रकबा 0.680 हे. का है जिसके सम्बन्ध में तहसील न्यायालय में [illegible] प्रकरण विभाजन का [illegible] प्रकरण क्र. 8अ27/2001 02 पर दर्ज हुआ व अपीलान्ट आवेदक के हित में विभाजन का आदेश दिया गया इस आदेश का क्रियान्वयन श्रीमान तहसीलदार महोदय नलखेड़ा द्वारा नामान्तरण पंजी क्र. [illegible] खाता क्र. 47 व 25.07.2002 के द्वारा किया गया इस आदेश से असंतुष्ट होकर रेस्पान्डेंट गोपालदास ने एक अपील 29/2007--08 अनुविभागीय अधिकारी महोदय सुसनेर को प्रस्तुत की गई

रामकिशन / गोपालदास

R. 1896/I/14 आगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-8-14 इंदौर	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ... गुप्ता को प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । 2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपील में पारित आलोच्य आदेश द्वारा प्रकरण सुनवाई के लिए तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया है जबकि संहिता में हुए संशोधन के उपरान्त नामांतरण प्रकरण का निराकरण अपीलीय अधिकारी को करना चाहिए था । ऐसी स्थिति में इस निगरानी का अंतिम निराकरण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी उभयपक्ष को सुनकर तथा आवश्यक साक्ष्य आदि लेकर गुणदोष पर ... करें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	